पंजीकृत

प्रेषक:

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पत्रांक --

दिनांक 8-2-96

सेवा में,

439
30-3-96

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
गाँधी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
शिवाजी रोड,
मेरठ

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बद्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डीजीईटी, नई दिल्ली में बैठी उप-समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 5-2-90 पर दिनांक 2-2-96 को महानिदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप-समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप-समिति द्वारा आपके संस्थान से संबंधित स्थायी समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, जिसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

Sl.No.	Trades/Units for which affiliation shought by Institute	Recommended by Standing Committee	Recommended by D.G.E.T.	Remarks
1	2	3	4	5
1-	D.P.C.S. Two Units	Two Units	Two Units (1+1) (w.e.f. Aug 90)	SCIR dt. 5-2-90

Legends Used

SCIR - Standing Committee Inspection Report
SIR - Supplimentary Inspection Report.
DIR - Departmental Inspection Report.
UC - Under Consideration
NR - Not Recommended
NC - Not Considered

No DGET 6/21/14/90-TC

...दी की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का
निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस
निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(डी०सी० बनर्जी)
अपर निदेशक(प्रशिक्षण)
कृते निदेशक।

पत्रांक 963/टी-3/रा०प०/संबद्धता/भा०स०मा० तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

संयुक्त निदेशक(प्रशि/प्रशिक्षण), - - मेरठ मण्डल, मेरठ - - - - को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान को भी अपने स्तर से अवगत करा दें।

संस्थान की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डी०सी० बनर्जी)
अपर निदेशक(प्रशिक्षण)
कृते निदेशक।